

न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)
(समक्ष : डी.एस.मण्डलोई)

आप. प्रक. क्र.-568 / 2009

संस्थित दिनांक-27.10.2009

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र रूपझर,

अन्तर्गत चौकी सोनेवानी, जिला-बालाघाट (म.प्र.)

..... अभियोजन

विरुद्ध

1. जंगलसिंह उर्फ ढीमर पिता तामसिंह बैगा, उम्र 50 साल,

निवासी कुआगोंदी थाना रूपझर, जिला बालाघाट (म.प्र.)

2. धारासिंह पिता भरतलाल पन्द्रे, उम्र 32 साल,

निवासी कसंगी थाना रूपझर, जिला बालाघाट (म.प्र.) आरोपीगण

— :: निर्णय :: —

(आज दिनांक 06 / 02 / 2015 को घोषित किया गया)

(01) आरोपीगण के विरुद्ध आयुध अधिनियम की धारा 25, 27 के अन्तर्गत आरोप है कि आरोपी जंगलसिंह दिनांक 22.07.2009 को ग्राम कसंगी कुआगोंदी के बीच जंगल रक्षित केन्द्र रूपझर के अन्तर्गत अपने आधिपत्य में बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के दो भरमार बंदूक एवं आरोपी धारासिंह तीन भरमार बंदूक मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 6312/6552(1) दिनांक 22.11.1974 के उल्लंघन में रखे हुये पाया गया।

(02) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी घुड़नलाल अहिरवार सहायक उपनिरीक्षक पुलिस चौकी सोनेवानी को दिनांक 22.07.2009 को ग्राम कसंगी जंगल सर्चिंग के दौरान मुखबिर की सूचना मिली कि ग्राम कुआगोंदी का

जंगलसिंह बैगा एवं धारासिंह गोंड कसंगी का अवैध भरमार बंदूक कसंगी एवं कुआगोंदी के बीच जंगल में रखे हुये है। सूचना पर हमराह स्टाप एवं गवाह झामसिंह, सूरज के साथ घेराबंदी कर दबिश दी। जंगल को पकड़ा उसके पास एक नाल की दो अवैध भरमार बंदूक मिली। मौके पर गवाहों के समक्ष जप्त कर कब्जे में लिया। धारासिंह गोंड जंगल में पुलिस को देखकर एक बोरा कट्टी में तीन अवैध भरमार बंदूक फेंक कर भाग गया। गवाहों के समक्ष जप्त कर बंदूक के लायसेंस के संबंध में पूछने पर लायसेंस नहीं होना बताया। आरोपीगण का कृत्य आयुध अधिनियम की धारा 25, 27 के अन्तर्गत दण्डनीय होने से आरोपीगण को गिरफ्तार कर आरोपीगण के विरुद्ध अपराध 73/09 अन्तर्गत आयुध अधिनियम की धारा 25, 27 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर आवश्यक विवेचना पूर्ण कर आरोपीगण के विरुद्ध आयुध अधिनियम की धारा 25, 27 के अन्तर्गत यह अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

(03) आरोपीगण को मेरे पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा आयुध अधिनियम की धारा 25, 27 का आरोप-पत्र विरचित कर पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपीगण ने अपराध करना अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा।

(04) आरोपीगण का बचाव है कि वह निर्दोष हैं, पुलिस ने उनके विरुद्ध झूठा प्रकरण तैयार कर उन्हें झूठा फंसाया है।

(05) आरोपीगण के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने के लिए निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है :-

- (अ) क्या आरोपी जंगलसिंह दिनांक 22.07.2009 को ग्राम कसंगी कुआगोंदी के बीच जंगल रक्षित केन्द्र रूपझर के अन्तर्गत अपने आधिपत्य में बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के दो भरमार बंदूक एवं आरोपी धारासिंह तीन भरमार बंदूक मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 6312/6552(1) दिनांक 22.11.1974 के उल्लंघन में रखे हुये पाये गये ?

-:: सकारण निष्कर्ष ::-

(06) अभियोजन साक्षी घुड़नलाल (अ.सा. 9) का कहना है कि उसने दिनांक 22.07.2009 को जंगल सचिंग के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि ग्राम कुआगोंदी का जंगलसिंह बैगा एवं धारासिंह गोंड कसंगी का अवैध भरमार बंदूक रखे हुये है सूचना पर तत्काल हमराह स्टाप एवं साक्षी झामसिंह पिता प्रेमलाल, सूरज पिता बारेलाल के साथ घेराबंदी कर दबीस की गई। जंगलसिंह बैगा कुआगोंदी को पकड़े जिसके पास एक नाल की दो अवैध भरमार बंदूक जप्त किया। एक बोरा कट्टा, तीन अवैध धारासिंह गोंड कसंगी द्वारा जंगल में फेककर भाग गया। मौके पर विधिवत् कार्यवाही कर वापस चौकी आकर रोजनामचा सान्हा 437 दिनांक 22.07.2009 को अपराध क्रमांक 0/09 धारा 25, 27 एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया, जो प्रदर्श पी-01 है। साक्षी झामसिंह हमराज सूरज मर्सकोले, ओमकार परते के कथन लेखबद्ध किये। घटनास्थल का नजरी नक्शा साक्षी झामसिंह पन्दे की निशादेही पर तैयार किया, जो प्रदर्श पी-02 है। आरोपी जंगलसिंह उर्फ ढीमर से गवाह झामसिंह एवं सूरज गोंड के समक्ष आरोपी से एक अवैध भरमार बंदूक जिसकी लम्बाई 44 इंच, चौड़ाई 5 इंच एवं एक भरमार बंदूक लम्बाई 44 इंच एवं चौड़ाई 5 इंच ग्राम कसंगी में आरोपी जंगलसिंह से जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-03 तैयार किया था। घटनास्थल पर तीन भरमार बंदूक मिली जिसे गवाहों के समक्ष जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-04 तैयार किया। आरोपी जंगलसिंह को दिनांक 22.07.2009 को गिरफ्तार कर गवाहों के समक्ष गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-5 तैयार किया दिनांक 28.08.2009 को धारासिंह पन्दे को विधिवत् गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-05 तैयार किया जप्तशुदा भरमार बंदूको का परीक्षण कराया गया था, जो प्रदर्श पी-09 है विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु थाना प्रभारी को सुपुर्द किया था।

(07) अभियोजन साक्षी भगतसिंह गोठरिया (अ.सा. 6) का कहना है कि उसने दिनांक 22.07.2009 को आरक्षी केन्द्र रूपझर में निरीक्षक के पद पर कार्यरत् रहते हुये चौकी सोनेवानी की प्रथम सूचना प्रतिवेदन के अपराध क्रमांक 0/09 धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट असल नम्बरी हेतु प्राप्त होने पर उसने असल नम्बर कायम किया था, जो प्रदर्श पी-10 है।

(08) अभियोजन साक्षी एस.के.नाथ (अ.सा. 7) का कहना है कि थाना रूपझर पुलिस चौकी सोनेवानी के अपराध क्रमांक 73/09 धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के प्रकरण के अवलोकन पश्चात् आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 39 के तहत अभियोजन की स्वीकृति वर्तमान में पदस्थ लायसेंस क्लर्क निकोसे एवं तत्कालीन कलेक्टर के द्वारा दी गई।

(09) अभियोजन साक्षी बी.के.निकोस (अ.सा. 8) का कहना है कि उसने दिनांक 24.10.2009 को बालाघाट कलेक्टर कार्यालय में लायसेंस क्लर्क के पद पर कार्यरत रहते हुये तात्कालीन कलेक्टर डॉक्टर नवनीत मोहन कोठारी के कार्यालय से उनके आदेशानुसार अपराध क्रमांक 73/09 धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के प्रकरण में अभियोजन स्वीकृति के आदेश प्रदर्श पी-11 के द्वारा दिया गया था।

(10) अभियोजन साक्षी अनिल मेहरबान (अ.सा. 5) उसने 5 बंदूकों का परीक्षण किया था। उसे प्रशिक्षण में 6 माह का अनुभव है। उसने प्रशिक्षण केन्द्रीय रिजर्व बल भोपाल में प्राप्त किया था। उसने बंदूकों का परीक्षण करने पर हाथ से बनी पायी थी जो अवैध हथियार थे। 5 बंदूक आर्म्स का चिन्ह उल्लेखित नहीं था। परीक्षण में उसमें बारूद की बू आ रही थी। बंदूक की लगभग बेरल की लम्बाई तीन फिट थी। पांचों बंदूक चालू हालत में थी उसका ट्रेबल काम कर रहा था। उक्त बंदूक के चालू हालत होने के कारण प्राणघात हो सकता है, जंगल में किसी भी जानवर का शिकार किया जा सकता था। उक्त बंदूक का परीक्षण करने के बाद रिपोर्ट उसने चौकी प्रभारी को सील बंद कर दिया था। उसके द्वारा तैयार की गई परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-09 है।

(11) अभियोजन साक्षी ज़ामसिंह (अ.सा. 1) का कहना है कि उसने आरोपी जंगलसिंह को बंदूक लेकर नहीं देखा था और पुलिस ने उसके सामने आरोपी जंगलसिंह से कोई भरमार बंदूक जप्त नहीं की थी। किन्तु जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-03 एवं 04 पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके सामने मौका नक्शा नहीं बनाया था। उसने पुलिस को बयान नहीं दिया था। उसके सामने आरोपीगण को गिरफ्तार नहीं किया गया था। किन्तु गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-05 पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके सामने घटनास्थल से कोई भरमार बंदूक जप्त नहीं हुई थी।

(12) अभियोजन साक्षी सूरज (अ.सा. 2) का कहना है कि उसे घटना के संबंध

में कोई जानकारी नहीं है। आरोपीगण से उसके सामने कोई जप्ती की कार्यवाही नहीं हुई थी। पुलिस ने उससे कोई पूछताछ नहीं की थी। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस बात से स्पष्ट इन्कार किया है कि आरोपीगण को उसके सामने पुलिस ने जंगल में पकड़ा था और प्रदर्श पी-01 का बयान उसने पुलिस को दिया था एवं पुलिस ने घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-02 उसके समक्ष तैयार किया था। इस बात से भी स्पष्ट इन्कार किया है कि पुलिस ने आरोपी जंगलसिंह से उसके सामने अवैध हथियार जप्त किये थे और जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-03 व 04 बनाया था। साक्षी ने इस बात से भी स्पष्ट रूप से इन्कार किया है कि पुलिस ने उसके सामने आरोपीगण को गिरफ्तार किया था और उसने गिरफ्तारी पंचनामे पर हस्ताक्षर किये थे।

(13) अभियोजन साक्षी भरतलाल (अ.सा. 3) का कहना है कि घटना के संबंध में उसे जानकारी नहीं है। उसके सामने आरोपीगण को गिरफ्तार नहीं किया गया था और न ही आरोपीगण की गिरफ्तारी की सूचना उसे दी गई थी। किन्तु गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-06 एवं 07 पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षी ने इस बात से स्पष्ट इन्कार किया है कि आरोपी धारासिंह को उसके सामने गिरफ्तार किया था।

(14) अभियोजन साक्षी ओमकार (अ.सा. 4) का कहना है कि उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। उसने पुलिस को कोई बयान नहीं दिया था। साक्षी को उसका पुलिस कथन प्रदर्श पी-08 पढ़कर सुनाये जाने पर भी साक्षी ने कथन देने से इन्कार किया।

(15) अभियोजन साक्षी खेमराज उर्फ धारा (अ.सा. 10) का कहना है कि घटना चिखलाझोड़ी की है। घटना के समय वह बैहर में था। पुलिस वाले बैहर से उसे अपने साथ में लेकर गये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने बताया कि घटना दिनांक 15.11.2005 की है तथा साक्षी को उसका पुलिस कथन प्रदर्श पी-14 पढ़कर सुनाये जाने पर साक्षी ने ऐसा ही बयान पुलिस को दिया जाना स्वीकार किया है। आरोपी जंगलसिंह ने उसके सामने मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी-05 नहीं दिया था।

(16) आरोपीगण एवं आरोपीगण के अधिवक्ता का बचाव है कि वह निर्दोष है। पुलिस ने उनके विरुद्ध झूठा प्रकरण तैयार कर उन्हें झूठा फंसाया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं विवेचनाकर्ता के कथनों का अभियोजन द्वारा प्रस्तुत स्वतंत्र साक्षियों ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। अभियोजन द्वारा साक्षियों को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षियों ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। अभियोजन का प्रकरण सन्देहस्पद है। अतः सन्देह का लाभ आरोपीगण को दिया जाये।

(17) आरोपीगण एवं आरोपीगण के अधिवक्ता के बचाव पर विचार किया गया।

(18) अभियोजन साक्षी घुड़नलाल (अ.सा. 9) का कहना है कि उसने दिनांक 22.07.2009 को जंगल सचिंग के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि ग्राम कुआगोंदी का जंगलसिंह बैगा एवं धारासिंह गोंड कसंगी का अवैध भरमार बंदूक रखे हुये है सूचना पर तत्काल हमराह स्टाप एवं साक्षी झामसिंह पिता प्रेमलाल, सूरज पिता बारेलाल के साथ घेराबंदी कर दबीस की गई। जंगलसिंह बैगा कुआगोंदी को पकड़े जिसके पास एक नाल की दो अवैध भरमार बंदूक जप्त किया। एक बोरा कट्टा, तीन अवैध धारासिंह गोंड कसंगी द्वारा जंगल में फेककर भाग गया। मौके पर विधिवत् कार्यवाही कर वापस चौकी आकर रोजनामचा सान्हा 437 दिनांक 22.07.2009 को अपराध क्रमांक 0/09 धारा 25, 27 एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया, जो प्रदर्श पी-01 है। साक्षी झामसिंह हमराज सूरज मर्सकोले, ओमकार परते के कथन लेखबद्ध किये। घटनास्थल का नजरी नक्शा साक्षी झामसिंह पन्ने की निशादेही पर तैयार किया, जो प्रदर्श पी-02 है। आरोपी जंगलसिंह उर्फ ढीमर से गवाह झामसिंह एवं सूरज गोंड के समक्ष आरोपी से एक अवैध भरमार बंदूक जिसकी लम्बाई 44 इंच, चौड़ाई 5 इंच एवं एक भरमार बंदूक लम्बाई 44 इंच एवं चौड़ाई 5 इंच ग्राम कसंगी में आरोपी जंगलसिंह से जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-03 तैयार किया था। घटनास्थल पर तीन भरमार बंदूक मिली जिसे गवाहों के समक्ष जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-04 तैयार किया। आरोपी जंगलसिंह को दिनांक 22.07.2009 को गिरफ्तार कर गवाहों के समक्ष गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-5 तैयार किया दिनांक 28.08.2009 को धारासिंह पन्ने को विधिवत् गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-05 तैयार किया जप्तशुदा

भरमार बंदूको का परीक्षण कराया गया था, जो प्रदर्श पी-09 है विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु थाना प्रभारी को सुपुर्द किया था। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा 04 में यह स्वीकार किया है कि झामसिंह और सूरजलाल उसके साथ में ही थे। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा 06 में यह स्वीकार किया है कि चौकी सोनेवानी से घटनास्थल स्थान कितनी दूरी पर है वह दर्ज नहीं किया। घटनास्थल पर आरोपीगण को किस स्थान पर गिरफ्तार किया था वह भी लेख नहीं किया। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि आरोपी धारासिंह से कोई जप्ती नहीं हुई।

(19) अभियोजन साक्षी भगतसिंह गोठरिया (अ.सा. 6) का कहना है कि उसने दिनांक 22.07.2009 को आरक्षी केन्द्र रूपझर में निरीक्षक के पद पर कार्यरत् रहते हुये चौकी सोनेवानी की प्रथम सूचना प्रतिवेदन के अपराध क्रमांक 0/09 धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट असल नम्बरी हेतु प्राप्त होने पर उसने असल नम्बर कायम किया था, जो प्रदर्श पी-10 है। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि उसके द्वारा प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं की गई।

(20) अभियोजन साक्षी एस.के.नाथ (अ.सा. 7) का कहना है कि थाना रूपझर पुलिस चौकी सोनेवानी के अपराध क्रमांक 73/09 धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के प्रकरण के अवलोकन पश्चात् आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 39 के तहत अभियोजन की स्वीकृति वर्तमान में पदस्थ लायसेंस क्लर्क निकोसे एवं तत्कालीन कलेक्टर के द्वारा दी गई। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि अभियोजन की स्वीकृति उसके द्वारा नहीं दी गई और न ही उस पर उसके हस्ताक्षर है।

(21) अभियोजन साक्षी बी.के.निकोस (अ.सा. 8) का कहना है कि उसने दिनांक 24.10.2009 को बालाघाट कलेक्टर कार्यालय में लायसेंस क्लर्क के पद पर कार्यरत् रहते हुये तात्कालीन कलेक्टर डॉक्टर नवनीत मोहन कोठारी के कार्यालय से उनके आदेशानुसार अपराध क्रमांक 73/09 धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के प्रकरण में अभियोजन स्वीकृति के आदेश प्रदर्श पी-11 के द्वारा दिया गया था। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया गया है कि उसके द्वारा आदेश जारी नहीं किया गया। उसे नहीं मालूम की उसके कार्यालय से अनुमति किस तारीख को दी गई।

(22) अभियोजन साक्षी अनिल मेहरबान (अ.सा. 5) उसने 5 बंदूकों का परीक्षण किया था। उसे प्रशिक्षण में 6 माह का अनुभव है। उसने प्रशिक्षण केन्द्रीय रिजर्व बल भोपाल में प्राप्त किया था। उसने बंदूकों का परीक्षण करने पर हाथ से बनी पायी थी जो अवैध हथियार थे। 5 बंदूक आर्म्स का चिन्ह उल्लेखित नहीं था। परीक्षण में उसमें बारूद की बू आ रही थी। बंदूक की लगभग बेरल की लम्बाई तीन फिट थी। पांचों बंदूक चालू हालत में थी उसका ट्रेबल काम कर रहा था। उक्त बंदूक के चालू हालत होने के कारण प्राणघात हो सकता है, जंगल में किसी भी जानवर का शिकार किया जा सकता था। उक्त बंदूक का परीक्षण करने के बाद रिपोर्ट उसने चौकी प्रभारी को सील बंद कर दिया था। उसके द्वारा तैयार की गई परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-09 है। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि उसने बंदूक चलाकर नहीं देखी और बंदूक कर टिगर भी चालू नहीं था। यदि उसने पांचों बंदूक चालू हालत में बताई तो वह गलत है। केवल उसने रिपोर्ट बनाकर देखी थी। पुलिस ने बंदूक कहा से लाकर दी थी उसे जानकारी नहीं है।

(23) अभियोजन साक्षी ज़ामसिंह (अ.सा. 1) का कहना है कि उसने आरोपी जंगलसिंह को बंदूक लेकर नहीं देखा था और पुलिस ने उसके सामने आरोपी जंगलसिंह से कोई भरमार बंदूक जप्त नहीं की थी। किन्तु जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-03 एवं 04 पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके सामने मौका नक्शा नहीं बनाया था। उसने पुलिस को बयान नहीं दिया था। उसके सामने आरोपीगण को गिरफ्तार नहीं किया गया था। किन्तु गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-05 पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके सामने घटनास्थल से कोई भरमार बंदूक जप्त नहीं हुई थी। किन्तु साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा 02 में यह बताया है कि वह बालाघाट से आ रहा था। पुलिस ने चौकी जे जाकर धमकी देकर हस्ताक्षर करवा लिये थे। हस्ताक्षर उसने डर के कारण कर दिये थे।

(24) अभियोजन साक्षी सूरज (अ.सा. 2) का कहना है कि उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। आरोपीगण से उसके सामने कोई जप्ती की कार्यवाही नहीं हुई थी। पुलिस ने उससे कोई पूछताछ नहीं की थी। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस बात से स्पष्ट इन्कार किया है कि आरोपीगण को उसके सामने पुलिस ने जंगल में पकड़ा था और प्रदर्श पी-01 का

बयान उसने पुलिस को दिया था एवं पुलिस ने घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-02 उसके समक्ष तैयार किया था। इस बात से भी स्पष्ट इन्कार किया है कि पुलिस ने आरोपी जंगलसिंह से उसके सामने अवैध हथियार जप्त किये थे और जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-03 व 04 बनाया था। साक्षी ने इस बात से भी स्पष्ट रूप से इन्कार किया है कि पुलिस ने उसके सामने आरोपीगण को गिरफ्तार किया था और उसने गिरफ्तारी पंचनामे पर हस्ताक्षर किये थे। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्पष्ट बताया है कि पुलिस ने उससे कोई पूछताछ नहीं की थी। उसके सामने कोई जप्ती नहीं हुई थी। वह बालाघाट से आ रहा था पुलिस वाले उसे चौकी पर ले गये और उससे हस्ताक्षर करवा लिये थे। उसने पुलिस वालों के कहने पर हस्ताक्षर कर दिये थे। हस्ताक्षर करते समय दोनों आरोपीगण मौजूद नहीं थे।

(25) अभियोजन साक्षी भरतलाल (अ.सा. 3) का कहना है कि घटना के संबंध में उसे जानकारी नहीं है। उसके सामने आरोपीगण को गिरफ्तार नहीं किया गया था और न ही आरोपीगण की गिरफ्तारी की सूचना उसे दी गई थी। किन्तु गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-06 एवं 07 पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षी ने इस बात से स्पष्ट इन्कार किया है कि आरोपी धारासिंह को उसके सामने गिरफ्तार किया था। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्पष्ट बताया है कि प्रदर्श पी-06 और 07 के हस्ताक्षर की उसे जानकारी नहीं है।

(26) अभियोजन साक्षी ओमकार (अ.सा. 4) का कहना है कि उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। उसने पुलिस को कोई बयान नहीं दिया था। साक्षी को उसका पुलिस कथन प्रदर्श पी-08 पढ़कर सुनाये जाने पर भी साक्षी ने कथन देने से इन्कार किया।

(27) अभियोजन साक्षी खेमराज उर्फ धारा (अ.सा. 10) का कहना है कि घटना चिखलाझोड़ी की है। घटना के समय वह बैहर में था। पुलिस वाले बैहर से उसे अपने साथ में लेकर गये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने बताया कि घटना दिनांक 15.11.2005 की है तथा साक्षी को उसका पुलिस कथन प्रदर्श पी-14 पढ़कर सुनाये जाने पर साक्षी ने ऐसा ही बयान पुलिस को

दिया जाना स्वीकार किया है। आरोपी जंगलसिंह ने उसके सामने मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी-05 नहीं दिया था। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्पष्ट रूप से इन्कार किया है कि प्रदर्श पी-05 पर पुलिस ने कोरे पर हस्ताक्षर करवाये थे। उसके सामने आरोपी जंगलसिंह से कोई पूछताछ नहीं हुई थी और न ही कोई मेमोरेण्डम दिया था। साक्षी ने यह भी स्पष्ट बताया कि उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है।

(28) प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं कायमीकर्ता भगतसिंह गोठरिया (अ.सा. 6) तथा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षी/विवेचनाकर्ता घुड़नलाल (अ.सा. 9) के कथनों का अभियोजन द्वारा प्रस्तुत स्वतंत्र साक्षियों ने समर्थन नहीं किया है। अभियोजन द्वारा साक्षियों को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षियों ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के कथनों का प्रतिपरीक्षण में भी खण्डन होने से आरोपी जंगलसिंह दिनांक 22.07.2009 को ग्राम कसंगी कुआगोंदी के बीच जंगल रक्षित केन्द्र रूपझर के अन्तर्गत अपने आधिपत्य में बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के दो भरमार बंदूक एवं आरोपी धारासिंह तीन भरमार बंदूक मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 6312/6552(1) दिनांक 22.11.1974 के उल्लंघन में रखे हुये पाया गया। यह विश्वासनीय प्रतीत नहीं होता है।

(29) उपरोक्त साक्ष्य की विवेचना एवं निष्कर्ष के आधार पर अभियोजन अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है कि आरोपी जंगलसिंह दिनांक 22.07.2009 को ग्राम कसंगी कुआगोंदी के बीच जंगल रक्षित केन्द्र रूपझर के अन्तर्गत अपने आधिपत्य में बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के दो भरमार बंदूक एवं आरोपी धारासिंह तीन भरमार बंदूक मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 6312/6552(1) दिनांक 22.11.1974 के उल्लंघन में रखे हुये पाया गया। अभियोजन का प्रकरण सन्देहस्पद प्रतीत होता है। अतः सन्देह का लाभ आरोपीगण को दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

(30) परिणाम स्वरूप आरोपी जंगलसिंह एवं धारासिंह को आयुध अधिनियम की धारा 25, 27 के आरोप में दोषसिद्ध न पाते हुए दोषमुक्त किया जाता है।

(31) प्रकरण में आरोपीगण पूर्व से जमानत पर है, उनके पक्ष में पूर्व के निष्पादित जमानत एवं मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

(32) प्रकरण में जप्तशुदा एक नाल की पांच नग भरमार बंदूक रक्षित केन्द्र बालाघाट में होने से विधिवत् निराकरण हेतु जिला दण्डाधिकारी बालाघाट को सौंपे जाने बाबत् ज्ञापन जारी किया जावे। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार सम्पत्ति का निराकरण किया जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया ।

मेरे बोलने पर टंकित
किया गया ।

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर जिला बालाघाट (म0प्र0)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)